तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एल.आर/2803/2005/जोधपुर अशोककुमार बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ
डॉ0 श्रवणकुमार बुनकर, सदस्य

उपस्थितः—
श्री सुगनमल परिहार, अधिवक्ता, प्रार्थी
श्री खुर्शीद अनवर, उप राजकीय अधिवक्ता, अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक 23—4—2024

यह निगरानी राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 84 के तहत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28—12—2004 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2— प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर द्वारा जारी आदेश दिनांक 14—1—98 के प्रतिप्रेषण की पालना में तहसीलदार द्वारा प्रकरण को पुनः दर्ज कर ग्राम पंचायत को पक्षकार बनाकर हल्का पटवारी की रिपोर्ट एवं दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाकर मौजा कूंपडावास की विवादग्रस्त भूमि आराजी खसरा नबर 319 रकबा 10 बीघा किस्म गैर मुमकिन गोचर पर नाजायज कब्जा कर अतिक्रमण करने पर तहसीलदार, बिलाड़ा द्वारा अपने आदेश दिनांक द्वारा 9—8—2002 द्वारा प्रार्थी को अतिक्रमी मानते हुए बेदखली एवं शास्ति के आदेश जारी किए । उक्त आदेश के विरूद्व प्रार्थी/अपीलाण्ट द्वारा अतिरिक्त जिला कलेक्टर, जोधपुर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 25—9—2003 से खारिज कर दिया । उक्त आदेश के विरूद्व द्वितीय अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर के न्यायालय में प्रस्तुत की गई जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 28—12—2004 से अपील को खारिज कर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय यथावत रखे । अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 28—12—2004 के विरूद्व यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई ।

3— प्रार्थी के योग्य अधिवक्ता ने निगरानी मीमों में वर्णित तथ्यों में उल्लेखित किया है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम व रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय हैं। उनका कथन है कि विवादित भूमि गोचर है या नहीं ? इसका परीक्षण तहसीलदार द्वारा किया जाना था,

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एल.आर/2803/2005/जोधपुर अशोककुमार बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	लेकिन मात्र पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर विवादित रकबा पर प्रार्थी का अतिक्रमण मानने में अधीनस्थ न्यायालयों ने सरसरी तौर पर बिना कोई जांच किए प्रार्थी के विरूद्व बेदखली एवं शास्ति का आदेश पारित किया है, जो निरस्त किए जाने योग्य है। खसरा नंबर 319 का रकबा 346 बीघा है, जिसमें से केवल 150 बीघा भूमि गोचर हेतु आरक्षित की गई है। इस आरक्षित भूमि के अलावा बकाया रकबे में से कई लोगों को आवंटन भी किए जा चुके हैं । ग्राम पंचायत ने विवादित भूमि पर कोई अधिकार नहीं बताये हैं । विवादित भूमि गैर मुमकिन गोचर नहीं है, विवादित भूमि मगरा है एवं प्रार्थी का कब्जा संवत 2030 से है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालयों ने इस पर गौर नहीं कर निर्णय पारित किए है । अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार कर तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्त कर प्रार्थी के नाम विवादित भूमि नियमन किए जाने के आदेश प्रदान किए जावें । 4— इसके विपरीत उप राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी द्वारा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। अतिक्रमी के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा आदेश पारित किये गये हैं, जिनमें किसी प्रकार की कोई कानूनी अथवा क्षेत्राधिकार अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है। तहसीलदार द्वारा उच्चतर न्यायालयों के आदेश की पालना में विधिवत जांच कर प्रार्थी को अतिक्रमी मानकर बेदखली एवं शास्ति आरोपित की है । अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी को खारिज किया जावे। 5— हमनें उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। 6— प्रस्तुत प्रकरण में तहसीलदार के आदेश की पालना में पटवारी द्वारा दिनांक 11—9—2001 को मौका निरीक्षण किया गया जिसके अनुसार प्रार्थी का गोचर भूमि पर अतिक्रमण होना बताया है । तहसीलदार द्वारा उच्चतर न्यायालयों के आदेश की पालना में पुनः मौका जांच एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर प्रार्थी को अतिक्रमी मानकर बेदखली एवं शास्ति आरोपित की है । इस प्रकार प्रार्थी की हैसियत एक अतिक्रमी की है । प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे यह प्रमाणित हो कि प्रार्थी अतिक्रमी न होकर खातेदार है। अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रकरण के तथ्यों की पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए निर्णय पारित किये गये है, जिसमें हम किसी प्रकार की कोई विधिक	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एल.आर/2803/2005/जोधपुर अशोककुमार बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	क्षेत्राधिकार अथवा तथ्यात्मक त्रुटि होना नहीं पाते है। प्रार्थी द्वारा गोचर की भूमि पर अतिक्रमण किया गया है, इस कारण अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा नियमानुसार बेदखल किये जाने व शास्ति आरोपित करने का आदेश पारित किया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के तहत गोचर भूमि प्रतिबंधित श्रेणी में आती है जो नियमन व आवंटन नहीं की जा सकती । अतः हम अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित समवर्ती निर्णयों में हस्तक्षेप करने का कोई न्यायोचित आधार नहीं पाते हैं। 7— उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों को यथावत् रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भेजी जावें। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(डॉ0श्रवणकुमार बुनकर)** **सदस्य**	